

14 ⁰⁵/₂₄

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय अप.।

उभय पक्ष वकुलाय की बहस एवं अर्थाई निवेद्याजा जारी किए जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओं पर दस्तावेज प्रकरण का परीक्षण करने के पश्चात न्यायालय द्वारा दिनांक 03-01-2024 को जारी अंतरिम निवेद्याजा के आदेश में किसी प्रकार की फसल न्याय संग्रह नहीं है। लिटिजा वादग्रस्त भूमि ग्राम इंगरली के खसरा नंबर 100, 101, 102, 138, 139, 140, 85, 87, 89, 99 कुल खसरा 10 कुल रकबा 12.84 हेक्टर के संबंध में वाद के निर्णय दिनांक 03-01-2024 को जारी निवेद्याजा के आदेश को पुरता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हेक्टर नम्बर से कम है।



3

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली